राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	254/2012, 671/2015 **मालीराम बनाम मोतीराम** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्रीयो के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 671/2015 एवं 254/2012 में इकजाई बहस सूनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 02/04/2026 को पेश हो।	
02/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर पक्षकारान ने राजीनामा एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किये किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/09/2008 पारित करते हुये राजीनामा एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03/07/2009 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 10 सीपीसी ख़ारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/02/2010 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 10 सीपीसी पर पारित आदेश दिनांक 03/07/2009 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/02/2010 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारा, सीकर के समक्ष भिन्न-भिन्न अपीले प्रस्तुत की गयी, तत्पश्चात उक्त दोनों पत्रावलीयो को इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	254/2012, 671/2012 — **मालीराम बनाम मोतीराम** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णयों में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री से पक्षकारान/सहखातेदार के मध्य किया गया विभाजन माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुरूप होना जाहिर होता है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/07/2009 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/02/2010 में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से उनमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/07/2009 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18/02/2010 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 671/2015 व 254/2012 खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 02/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर